भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 225
जिसका उत्तर मंगलवार 11 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

लाभ और घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

225. श्री विद्युत वरण महतो:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्यमों तथा लाभ अर्जित करने वाले और घाटे में चल रहे उद्यमों का पी.एस.ई.-वार और राज्य-वार विवरण क्या है;
(ख) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे पी.एस.ई. के पुनरुद्धार के लिए तथा उन्हें लाभकारी बनाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय द्वारा कौन से प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;
(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आबंटित, उपयोग की गई और अप्रयुक्त धनराशि का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा पी.एस.ई. को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के ब्यौरे के साथ-साथ लाभ और हानि तथा अन्य संबद्ध ब्यौरे लोक उद्यम सर्वेक्षण 2016-17 में उपलब्ध हैं जिन्हें पहले ही दिनांक 13 मार्च, 2018 को संसद में रख दिया गया है।

(ख) से (घ): भारी उद्योग विभाग घाटे में चल रहे प्रत्येक सीपीएसई की समीक्षा करता है जिसमें आवधिक समीक्षा के बाद स्टेकहोल्डरों के परामर्श से प्रत्येक सीपीएसई के कार्य निष्पादन पर उपयुक्त कार्रवाई निर्धारित की जाती है। लंबे समय से रुग्ण पाए गए सीपीएसईज का विनिवेश किया जाता है अथवा आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) और कर्मचारियों को देय मुआवजे के भुगतान के बाद बंद किया जाता है।

इस समय, भारी उद्योग विभाग इन सीपीएसईज के लिए किसी फ्लैगशिप कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

(ङ): देश में विनिर्माण अथवा रणनीतिक क्षेत्र में शामिल सीपीएसईज को उनकी विनिर्माण इकाइयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय रूप से सरकार द्वारा सहायता दी जाती है क्योंकि इससे कारोबार संभाव्यता के इष्टतम विकास और कंपनियों की वृद्धि के लिए निधियां/प्रौद्योगिकी आदि आएंगी जिससे रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। इससे जनता के लाभ के लिए सरकार के सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए उपयोग न किए गए संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे।

******